



प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

खादी तथा ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 (एस०सी०एस०पी०) के अन्तर्गत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-03/खा०ग्रा०बो०/प्रचार-प्रसार/वि०वि०सहा०कार्यक्रम पत्रा०(67)/2026-27, दिनांक 07.04.2026 द्वारा प्रेषित कार्ययोजना अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम हेतु प्रावधानित धनराशि रु० 575.40 लाख (रूपये पांच करोड़ पचहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र० के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए योजनाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में योजनाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानकों व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (7) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उसके व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गार्ड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (8) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-03/खा0ग्रा0बो0/प्रचार-प्रसार/वि0वि0सहा0कार्यक्रम पत्रा0(67)/2026-27, दिनांक 07.04.2026 में संलग्न की गयी कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,75,40,000 (रु० पाँच करोड़ पचहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-083 लेखा शीर्षक 2851007890800 विपणन विकास सहायता कार्यक्रम मानक मद 27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।**
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-20/2026/181(1)/59-2-2026/001-1811825 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/, द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
- 8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 10- एन0आई0सी0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।